MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

कार्य का नाम– जोन क्र. 05 क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में स्थित वाटर एटीएम का संधारण, रखरखाव एवं संचालन कार्य।

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	Quantity	UOM
1	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge. INTERNAL WORK - EXPOSED ON WALL		
a	20 mm nominal outer dia .Pipes.	50	metre
b	25 mm nominal outer dia .Pipes.	50	metre
c	32 mm nominal outer dia .Pipes.	60	metre
2	**NON-SOR**		
1	Digital RO Panel With TDS Meter (Heavy quality)	4	NOS
2	Baul set Big-Blue Jumbo (Heavy quality)	5	NOS
3	PP Filter 5 Micron (Jumbo PP)(Heavy quality)	30	NOS
4	RO Membrane 40.40 (Heavy quality)	10	NOS
5	RO Membrane 300 GPD (Heavy quality)	10	NOS
6	Housing System (FRP)	4	NOS
7	High Pressure Pump 1 - 1.5 HP	3	NOS
8	High Pressure Pump 2HP	3	NOS
9	Raw Water Pump 1/2 HP	5	NOS
10	Raw Water Pump 1 HP	2	NOS
12	SV Pump brass (Heavy quality)	10	NOS
13	Pressure Guage	10	NOS
14	Flow Meter	6	NOS
15	Flot Water Guage Sensor	10	NOS
16	Water ATM coin system	15	NOS
19	Activated carbon of sand (35 kg = 1beg)	15	BAG
20	Water level sensor (Heavy quality)	3	NOS
21	Vessel (WRV) (Multiport valve) automatic (Heavy quality)	1	NOS
22	Dosing pump (Heavy quality)	3	NOS
23	Roto meter	2	NOS
24	Anti scalin liquid (5 litre = 1 bottle)	5	Bottle

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai(C.G.)

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai(C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

कार्य का नाम :– जोन क्र. 05 क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में स्थित वाटर एटीएम का संधारण, रखरखाव एवं संचालन कार्य।

// नियम एवं शर्तें//

1. वाटर ए.टी.एम में लगाये गये सभी विद्युत उपकरणों का संधारण, रखरखाव व संचालन कार्य सभी आवश्यक सामग्री/लगने वाले अतिरिक्त पुर्जे सहित एजेंसी को स्वयं के व्यय पर करना होगा। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा ।

2. सभी वाटर ए.टी.एम का रखरखाव एवं संधारण कार्य का पंजी संधारित करना अनिवार्य होगा। संधारण पंजी का प्रभारी उपअभियंता से प्रविष्टी एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करवाने के पश्चात् देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा पावर पंप संधारण के संबंध में समय–समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. वाटर ए.टी.एम /अन्य विद्युत उपकरण खराब होने की शिकायत पर संधारण 48 घंटे के समय अवधि में करना अनिवार्य होगा। निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों एवं अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता से संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। किसी भी संधारण कार्य के विलंब में रु. 500.00 प्रति कार्य/प्रति दिवस दंड स्वरुप अधिरोपित की जावेगी ।

5. क्वाइन सिस्टम से होने वाले लाभ की सम्पूर्ण अधिकारिता नगर पालिक निगम भिलाई की होगी तथा क्वाइन लॉक सिस्टम का पूरा नियंत्रण नगर पालिक निगम भिलाई की होगी। एजेंसी को प्रतिदिवस वाटर एटीएम के क्वाइन सिस्टम से प्राप्त समस्त आय को नगर पालिक निगम भिलाई में जमा करना अनिवार्य होगा।

6. प्रतिमाह एजेंसी को मान्यता प्राप्त संस्था से जल सेम्पल का रिपोर्ट कार्यालय को देना होगा। उसी आधार पर एजेंसी को भुगतान किया जावेगा।

7. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखने अनिवार्य होगा, इसके लिए एजेंसी को समुचित संख्या के अतिरिक्त वाटर एटीएम से संबंधित सभी उपकरण सामग्री स्थानापन्न (Substitute) के रूप में रखना होगा, ताकि सामग्री खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो ।

8. वाटर एटीएम के सामग्री/उपकरण RO membrane और PP filter खराब होने की स्थिति में लगाये जाने वाले नया सामग्री का कम से कम 06 माह की वारंटी रहना अनिवार्य रहेगा। 06 माह की अवधि के भीतर RO membrane और PP filter के अलावा सामग्री के खराब होने की स्थिति में पुनः संधारण हेतु एजेंसी बाद्ध होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। ।

9. कार्य की अवधि 1 वर्ष की होगी, तदोपरांत आवश्कतानुसार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्य की अवधि में 01 वर्ष की समयावधि बढाते हुए अधिकतम 02 वर्षो की वृद्धि की जा सकेगी, उक्त बढायी गयी समयावधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।

Scanned with CamScanner

10. आवश्कतानुसार कार्य की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी, जिसकी नियम शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।

11. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा। शासन के समस्त करो का भुगतान एजेंसी को करना होगा।

12. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।

13. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा एवं समस्त वाटर एटीएम के संचालन कार्य हेतु सुपरवाइजर एवं लेबर की व्यवस्था स्वयं से करना होगा। इसके लिए एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा तथा संचालन हेतु एजेंसी बाध्य होगी

14. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी अनुवंधित एजेंसी की होगी ।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

16. प्रत्येक संधारण कार्य का स्पष्ट फोटोग्राफ्स गूगल लोकेशन एवं टाइम स्टैंप सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

17. जोन के अंतर्गत शिकायत संख्या 02 से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त संधारण गैंग उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

18. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा ।

18. निविदाकार का स्वयं का वाटर एटीएम संबंधी वर्कशाप अथवा डीलरशीप होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ वाटर एटीएम से संबंधित पर्याप्त कार्यानुभव होना अनिवार्य है। प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर प्राथमिकता एवं वरीयता दी जावेगी।

19. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्त संबंध में प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से प्राप्त कर देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

20. किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण एवं संधारण कार्य में 07 दिवस से अधिक विलंब अथवा नियम शर्तों के उल्लघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती।

उप अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with CamScanner